

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी बायतु मुकाम.....
जिला-बाड़मेर

..... बनाम..... श्री गणेश करे
किस्म मुकदमा..... नं. 216/2022 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/5/22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>श्री गणेश मिश्रा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>28/6/22</u> को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर</p>	
28/06/2022	<p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र (विप्रार्थी/वादी) के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्ट्रार की मितवाही गये। जिनकी एडी सुन प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार लेकर पत्रावली दिनांक 12/07/2022 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

12/07/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनको करीब एक माह से अधिक समय हो चुका है, न्यायालय समय में अलग-अलग तीन समय में विप्रार्थीगण को आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। आवाज लगाने के बावजूद विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है, प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कण बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-वाडमेर

न्यायालय उपर
क्रमांक : वाद / 2022 / 1236
प्रार्थी

1. पुराराम पुत्र सलाराम वगैरे 07
जाहि जाट, निवासी मगाणी न
पटवार मण्डल बायतु मगाणी न
तहसील बायतु मगाणी न

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद/2022/1236

दिनांक : 12/07/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पुराराम पुत्र सताराम वगैरा 07,
जाति जाट, निवासी मगोणी नगर,
पटवार मण्डल बायतु भोपजी,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. खीयाराम पुत्र पोकरराम वगैरा 22,
जातियान् जाट, निवासीयान् मगोणी
नगर, पटवार मण्डल बायतु भोपजी,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 216/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - मगोणी नगर, पटवार मण्डल - बायतु भोपजी, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 594 रकबा 15.1040 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2022/1237-1241

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पुराराम पुत्र सताराम वगैरा 07,
4. विप्रार्थी श्री खीयाराम पुत्र पोकरराम वगैरा 22,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/ गिड़ा/ नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 12/07/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर